

NATIONAL HUMAN RIGHTS AND CRIME CONTROL BUREAU

(GOVT. REGD. 483/2017, INCORPORATED UNDER THE LEGISLATION OF GOVT. OF INDIA, I.T.A. 1882) REGD. UNITED NATION (UNDESA), NITI AAYOG (GOVT. OF INDIA)

Regd. 12A & 80G Under Income Tax Department (Ministry of Finance, Govt. of India) Regd. CSR1 Under Ministry of Corporate Affairs (Govt. of India) & M.S.M.E. (Govt. of India)

AN ORGANIZATION FOR THE PROTECTION & PROMOTION OF HUMAN RIGHTS

Ref. No. NHRCCB/ NAO/ 057

// आदेश //

Date: 12/0/201

राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (एनएचआरसीसीबी) के समस्त सदस्यों / पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 14/03/2022 रात्रि 12:00 बजे से पुराना वालंटियर एवं जनरल मेम्बरिशप सिस्टम को को समाप्त कर दिनांक 15/03/2022 से नया वालंटियर सिस्टम लागु किया जा रहा है जिसकी नियम – शर्तें निम्नलिखित है –

- 1. यह कि नए वालंटियर सिस्टम के अंतर्गत संस्था के सभी एक्टिव मेम्बर / ब्लॉक कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी / जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी / संभाग कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी / प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी / राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी वालंटियर की नियुक्ति कर सकेंगे जिसके लिए किसी भी पदाधिकारी की परमीशन की आवश्यकता नहीं होगी।
- 2. यह कि नए वालंटियर सिस्टम के अंतर्गत वालंटियर को संस्था के सदस्यों / पदाधिकारियों द्वारा ब्लैक एंड वाइट आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा जिसपर नियुक्तिकर्ता सदस्य या पदाधिकारी के हस्ताक्षर ही मान्य होंगे।
- 3. यह कि नए वालंटियर सिस्टम में सदस्यों / पदाधिकारियों द्वारा ब्लैक एंड वाइट आईडी कार्ड जारी करने से पहले वेबसाइट में लॉग इन कर वालंटियर फॉर्म पूर्ण करना होगा एवं प्राप्त वालंटियर क्रमांक (उदहारण NHRCCB/VL/0000) को वालंटियर आईडी में अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 4. यह कि वालंटियर फॉर्म पूर्ण कर वालंटियर को फॉर्म की रसीद भी प्रदान करना आवश्यक होगा जिसकी प्रिंट वालंटियर फॉर्म पूर्ण कर वेबसाइट से प्राप्त की जा सकता है।
- 5. यह कि नए वालंटियर सिस्टम में वालंटियर के लिए डोनेशन 300/- अनिवार्य कर दिया गया है जिसका 50% भाग नियुक्तिकर्ता सदस्यों / पदाधिकारियों को कार्यालय खर्च के लिए भुगतान किया जाएगा।
- 6. यह की दिनांक 15/03/2022 से केवल वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त वालंटियर फॉर्म ही स्वीकृत होंगे जिसका सत्यापन संस्था की आधिकारिक वेबसाइट www.nhrccb.org पर Verification विकल्प के माध्यम से किया जा सकता है।
- 7. नए वालंटियर सिस्टम के तहत वालंटियर को संस्था के सदस्यों / पदाधिकारियों द्वारा केवल ब्लैक एंड वाइट आईडी कार्ड ही प्रदान किया जाएगा जो एक वर्ष के लिए मान्य होगा जिसका प्रारूप आप नेशनल हेल्पलाइन पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते है।

- 8. वालंटियर ब्लॉक / जिला कार्यकारिणी द्वारा आयोजित मीटिंग में भाग ले सकते है एवं संस्था के शिविर / कार्यक्रम आदि में भाग ले सकेंगे साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले वालंटियर को अनुशंसा के आधार पर प्रमोशन कर उच्चस्तरीय पदों पर भी नियुक्त किया जा सकेगा।
- 9. यह कि किसी वालंटियर द्वारा 10 नए वालंटियर पूर्ण करने पर एक्टिव मेम्बरिशप में प्रमोशन, 20 नए वालंटियर पूर्ण करने पर ब्लॉक कार्यकारिणी में प्रमोशन, 50 नए वालंटियर पूर्ण करने पर जिला कार्यकारिणी में प्रमोशन, 70 नए वालंटियर पूर्ण करने पर संभाग कार्यकारिणी में प्रमोशन, 100 नए वालंटियर पूर्ण करने पर प्रदेश कार्यकारिणी में प्रमोशन एवं 200 नए वालंटियर पूर्ण करने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा।
- 10. यह कि वालंटियर विजिटिंग कार्ड, सील, लैटरहेड, नंबर प्लेट, नाम प्लेट का उपयोग नहीं कर सकते है केवल स्टीकर का उपयोग कर सकते है।
- 11. यह कि वालंटियर आपराधिक प्रवृत्ति का न हो, नशे का सेवन न करता हो एवं कोई क्रिमिनल केस न हो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी नियुक्तिकर्ता सदस्य / पदाधिकारी की होगी।
- 12. यह कि संस्था के बारे में वालंटियर को सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाना एवं साथ ही जिले के व्हाट्सअप ग्रुप में वालंटियर को जोड़ना भी नियुक्तिकर्ता सदस्य / पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। नोट नियुक्तिकर्ता सदस्य / पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी की वह वालंटियर को उक्त आदेश की कॉपी (हार्डकॉपी या सॉफ्टकॉपी) उपलब्ध करावे और बिंदु क्रमांक 01 से 12 तक के सभी बिंदुओं को वालंटियर के समक्ष स्पष्ट करें।

आदेश दिनांक 15/03/2022 से लागू होगा एवं अगले आदेश तक प्रभावी होगा

माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार

राष्ट्रीय प्रसाशनिक कार्यालयः राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्युरो (रजि)

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष /राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (समस्त) / राष्ट्रीय महासचिव (समस्त) राष्ट्रीय सचिव (समस्त) /राष्ट्रीय संयुक्त सचिव (समस्त) राष्ट्रीय कॉर्डिनेटर (मैनेजमेंट) / प्रदेश अध्यक्ष (समस्त) /प्रदेश उपाध्यक्ष (समस्त) /प्रदेश महासचिव (समस्त) / प्रदेश सचिव (समस्त) / जिला पदाधिकारी (समस्त)/प्रखंड पदाधिकारी (समस्त) एवं सदस्य एनएचआरसीसीबी

राष्ट्रीय प्रसाशनिक कार्याल्य

राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो परि